रजिस्टर्ड डाक द्वारा

संख्याः 33/2020/1180 प्रो०/51-2020-14(06)/2019

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) दिनांक 11 अगस्त, 2020

विषयः जनपद प्रयागराज में पधारने वाले राज्य अतिथियों के सेवा सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 745/नाजिर-नौ-ए, दिनांक 01-07-2020 एवं पत्र संख्याः 743/नाजिर-नौ-ए, दिनांक 20-06-2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के सेवा सत्कार से संबंधित निम्नलिखित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 2,56,681=00 (रूपये दो लाख छप्पन हजार छः सौ इक्यासी मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रम सं०	**मा० राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि /वाहन संख्या/देयक संख्या/दिनांक/खान-पान से संबंधित देयक संख्या**	**धनराशि**
1-	मा० न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी, जज, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली दिनांक 30-11-2019 से 01-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-70 ई०टी०- 7599, वाहन देयक संख्याः पीआरजे-149, दिनांक 31-12-2019	रू० 11,025=00
2-	मा० न्यायमूर्ति श्री बी०के० श्रीवास्तव, जज, मा० उच्च न्यायालय, जबलपुर दिनांक 30-11-2019 से 01-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 4505, वाहन देयक संख्याः पीआरजे-150, दिनांक 31-12-2019	रू० 11,025=00
3-	मा० न्यायमूर्ति श्री सुरिन्दर गुप्ता, जज, मा० पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ दिनांक 06-12-2019 से 07-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 4505, वाहन देयक संख्याः पीआरजे-151, दिनांक 31-12-2019	रू० 13,545=00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4-	मा० न्यायमूर्ति श्री हेमन्त कुमार श्रीवास्तव, जज, मा० उच्च न्यायालय, पटना दिनांक 06-12-2019 से 07-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०- 8992, वाहन देयक संख्याः पीआरजे-152, दिनांक 31-12-2019	रू० 9,030=00
5-	श्री अश्वनी कुमार चौबे, मा० केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 16-12-2019 से 17-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 4505, वाहन संख्याः यू०पी०-70 ई०टी०-7599, वाहन देयक संख्याः पीआरजे-153, दिनांक 31-12-2019	रू० 67,988=00
6-	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मा० केन्द्रीय स्टील मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 07-12-2019 से 08-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-6572, वाहन देयक संख्याः पीआरजे-154, दिनांक 31-12-2019	रू० 23,568=00
7-	मा० न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ, मुख्य न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, गुजरात दिनांक 11-12-2019 से 14-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-6572, वाहन देयक संख्याः पीआरजे-155, दिनांक 31-12-2019	रू० 31,605=00
8-	मा० न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी, जज, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली । दिनांक 22-11-2019 से 25-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-6572, वाहन देयक संख्याः पीआरजे-158, दिनांक 31-12-2019	रू० 27,090=00
9-	मा० न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण, जज, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली दिनांक 27-12-2019 से 30-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-6572, वाहन देयक संख्याः पीआरजे-159, दिनांक 31-12-2019	रू० 31,605=00
10-	डा० प्रबोध सेठ, आई०ए०एस०, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार दिनांक 27-02-2020 से 29-02-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 सी०जेड०-4100, वाहन देयक संख्याः पीआरजे-591, दिनांक 15-03-2020	रू० 13,020=00
11-	मा० न्यायमूर्ति श्री सुजाय पॉल, जज, मा० मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर बेंच । दिनांक 18-02-2012 से 20-02-2012, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०- 8992, वाहन देयक संख्याः 279, दिनांक 24-02-2012	रू० 17,180=00
	(रूपये दो लाख छप्पन हजार छः सौ इक्यासी रूपये मात्र) कुल योग	रू० 2,56,681=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

३- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि" के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः 11 देयक मूलरूप में

भवदीय,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

संख्याः 33/2020/1180 (1) प्रो०/51-2020-14(06)/2019, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. कोषाधिकारी, प्रयागराज।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, प्रयागराज।
7. हर्षित ट्रेवेल्स, 206ए/80ए टैगोर टाउन, प्रयागराज (इलाहाबाद)
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।